



# परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा नगरों की

आवंटन/ नीलामी तिथि : 28.02.2013 समय: प्रातः 10:30 बजे

## आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल : सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी

भवनों/भूखण्डों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल व.मी० में	आरक्षित दर प्र.व.मी०/अनु.मू० फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
<b>नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण</b>				
<b>भरतपुरी योजना, गोण्डा</b>				
आ० भू०-पी-1435-सामान्य	01	336.40	5175.00	0.87
आ० भू०-पी-1436-सामान्य	01	295.00	4704.00	0.70
आ० भू०-पी-1437-अ०पि०वर्ग	01	348.00	5175.00	0.91
आ० भू०-पी-1877-अनु०जा०	01	261.76	5175.00	0.68
<b>सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर</b>				
आ० भू०-डी-10	01	232.00	8288.00	0.97
आ० भू०-डी-2/1	01	255.00	8288.00	1.06
<b>देव प्रयागम योजना, इलाहाबाद</b>				
आ० भू०-बी-4	01	288.00	6720.00	0.97
<b>डोमरौली योजना, मिर्जापुर</b>				
दु०आ०वर्ग-319 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	42.43	6150.00	0.14
<b>अशफाकउल्लाह नगर योजना, फैजाबाद</b>				
आ०भू०-पी०-24 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	37.07	5488.00	0.11
<b>नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण</b>				
<b>कबीर नगर योजना, वाराणसी</b>				
दुकान-एस०-1/11	01	7.17	10.80	1.08
<b>हरपुर योजना, बलिया</b>				
व्यवसायिक भूखण्ड-2बी/सी०पी०-2	01	92.40	16352.00	1.52
<b>रूस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर</b>				
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-1	01	66.33	16576.00	1.10
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-2	01	64.64	16576.00	1.07
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-3	01	71.74	16576.00	1.20
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-4	01	80.89	16576.00	1.34
<b>शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर</b>				
दुकान-एल०जी०एफ० एस-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633	7.25	0.73
दुकान-यू०जी०एफ० एस-8,9	02	9.633	4.74	0.48
दुकान-एल०जी०एफ० एस-7	01	9.922	4.86	0.49
दुकान-एल०जी०एफ० एस-1,6,7,12	04	9.922	7.45	0.75

सम्पत्तियों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल व.मी० में	आरक्षित दर/अनु.मू० फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी०)	एफ० ए०आर०	ग्राउण्ड कवरेज	अधि० ऊँचाई (मी०में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
<b>नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण</b>							
<b>पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी</b>							
कम्युनिटी सेन्टर-3ए-2 (लीज पर)	01	3053.68	9365.00	-	-	-	29.00
कम्युनिटी फैसिलिटी-1 (लीज पर)	01	1031.19	12768.00	-	-	-	13.17
कम्युनिटी फैसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	12768.00	-	-	-	18.90
<b>शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर</b>							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-1	01	81.00	19488.00	-	-	-	1.58
<b>अवधपुरी योजना, फैजाबाद</b>							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-6ए,7	02	368.50(प्रति)	9408.00	1.5	50	15 मीटर	3.47
व्यव० भूखण्ड-सी०पी०-6बी	01	243.81	9408.00	1.5	50	15 मीटर	2.30
<b>झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद</b>							
दुकान संख्या-एस-2/33	01	13.59	4.40	-	-	-	0.44
दुकान संख्या-एस-2/11	01	16.56	8.40	-	-	-	0.84
दुकान संख्या-एस-2/10	01	14.32	7.30	-	-	-	0.73
<b>महादेव झारखण्डीय योजना, गोरखपुर</b>							
दुकान संख्या-एस-10	01	8.53	3.45	-	-	-	0.35
<b>डोमरौली योजना, मिर्जापुर</b>							
व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	2.15
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	1.78
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15 मीटर	3.57
दुकान संख्या-एस-2, 3	02	9.39	3.77	-	-	-	0.38
दुकान संख्या-एस-6	01	15.15	6.00	-	-	-	0.60
दुकान संख्या-एस-7	01	18.71	7.40	-	-	-	0.74
दुकान संख्या-एस-10	01	6.667	4.50	-	-	-	0.45
दुकान संख्या-एस-11	01	8.667	5.85	-	-	-	0.59
<b>भरतपुरी योजना, गोण्डा</b>							
व्यव० भूखण्ड-1861/1 सामान्य	01	363.85	9408.00	1.5	50	15 मीटर	3.43
व्यव० भूखण्ड-1861/2 सामान्य	01	297.00	9408.00	1.5	50	15 मीटर	2.80
व्यव० भूखण्ड-1861/3 अ०पि०वर्ग	01	242.00	9408.00	1.5	50	15 मीटर	2.28
व्यव० भूखण्ड-1861/4 सामान्य	01	297.00	9408.00	1.5	50	15 मीटर	2.80
व्यव० भूखण्ड-1861/5 अनु०जा०	01	358.15	9408.00	1.5	50	15 मीटर	3.37

**नोट :** परिषद की देवप्रयागम योजना, इलाहाबाद की नवसृजित 8 आवासीय भूखण्डों का आरक्षण शासनादेश/परिषदादेश में प्रावधानित नियमान्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

**आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:-** (1) योजना/शहर का नाम.....(2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल.....(3) आवेदक का नाम .....(4) पिता/पति का नाम .....(5) पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता .....(6) दूरभाष/ मोबाइल नम्बर ..... ई-मेल आईडी० .....(7) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण संलग्न करें) .....(8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण- बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक .....(9) निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि .....(10) भुगतान का विकल्प,..... आवेदक के हस्ताक्षर .....

**सीलड बिड का प्रारूप:-** (1) योजना/शहर का नाम .....(2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल .....(3) आरक्षित मूल्य .....(4) आफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) .....(5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु० .....(6) बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक .....(7) नाम .....(8) पिता/पति का नाम .....(9) आरक्षण श्रेणी .....(राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें).....(10) पत्र व्यवहार का पता .....(11) दूरभाष/ मोबाइल नं० ..... ई-मेल आईडी० ..... हस्ताक्षर .....(12) दिनांक, स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम ..... पूरा पता .....

**घोषणा (आवेदन एवं सीलड बिड दोनों के साथ आवश्यक):-** (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम संबंधित ..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की वर्ष 2011-12 की समस्त स्त्रोतों से आय रु०..... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि..... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर व पता.....

**नियम व शर्तें :-** (1) आवेदन/ सीलड बिड फार्म संबंधित शहर/ योजना के स०प्र० कार्यालय/ जोन कार्यालय से भी रु० 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सीलड बिड/ आफर अंकित करते हुए रु० 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/ सीलड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/ जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सीलडबिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिये उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस कम शापिंग काम्प्लेक्स, जवाहर नगर, (भेलपुर), वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु- स०प्र० कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु-स०प्र० कार्यालय, सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद हेतु - स०प्र० कार्यालय, 50/6, अलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु - स०प्र० कार्यालय, अंगूरीबाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेश सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है, उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान

योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2013 तथा सीलड बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है, जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार व स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/ विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिये तथा उ०प्र० के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये। (11) एक आवेदक के एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/ भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (12) सीलड बिड देते समय लिफाफे के ऊपर योजना/सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। (13) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाईट <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (14) कार्नर की सम्पत्तियों पर परिषद नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। (15) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (16) आरक्षण शासनादेश/ परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

डायल करें **1800-180-5333** (टोल-फ्री) **0522-2236803**

(सेवोत्तम अनुवर्ती) **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ website : <http://www.upavp.com> E-mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)